प्रेषक

संजीव चोपडा,
सचिव,

संख्या 576 / ग्रा.वि.शा. / 2002

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरांचल
ग्राम्य विकास शाखा: देहरादून : दिनांक 30 नवम्बर 2002

विषय : जनपदों में उपलब्ध बंजर भूमि के उपयोग के संबंध में.

महोदय,

दिनांक 17.7.2002 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार विभिन्न जनपदों से उपलब्ध बंजर भूमि की सूचना निम्न प्रकार प्राप्त हुयी है:-

| क्र.सं. | जनपद का नाम | सूचित बंजर भूमि (क्षेत्रफल हैक्ट0 में) |
|---|---|---|
| 1. | पौडी | 61878.473 |
| 2. | उत्तरकाशी | 8911.00 |
| 3. | चमोली | 4020.17 |
| 4. | पिथौरागढ | 53124.00 |
| 5. | अल्मोड़ा | 176050.00 |
| 6. | चम्पावत | 12424.49 |
| 7. | उधम सिंह नगर | शून्य |
| 8. | देहरादून | 50503.00 |
| 9. | रूद्रप्रयाग | 334.34 |
| 10. | बागेश्वर | 8377.00 |
| 11. | हरिद्वार | 89.262 |
| 12. | टिहरी | 67475.00 |
| 13. | नैनीताल | 26.079 |
| | योग | 443212.814 |

मा. मंत्री ग्राम्य विकास द्वारा निरन्तर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि राज्य में उपलब्ध इस बंजर भूमि का रोजगार एवं स्वरोजगार के नये

अवसर सृजित करने हेतु उपयोग किया जा सकता है. इस हेतु प्रत्येक स्तर पर समेकित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है. उपलब्ध भूमि पर किस प्रकार की योजनायें ली जाये इस संबंध में भी दिनांक 17.7.2002, 25.9.2002 व 2.11.2002 की बैठकों में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श हो चुका है.

भारत सरकार से वर्तमान में श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा है जिसकी सूचना 2.11.2002 की बैठक में आपको दी जा चुकी है.

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपदों को उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बंजर भूमि विकास की अधिक से अधिक योजनाओं का चयन कर क्रियान्वयन किया जाये।

भवदीय
(संजीव चोपडा)
सचिव

प्रतिलिपि : निजी सचिव मा. मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं पेयजल को मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित

आयुक्त ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज निदेशालय, पौड़ी को सूचनार्थ

(संजीव चोपडा)
सचिव